

मु. नं. 112/2020 विरवारि सिंह - मोहनलाल आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.4.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....5.12 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-6-23 को पेश हों।</p>	
15.6.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....11.12 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5.9.23 को पेश हों।</p>	
15.6.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....11.12 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.12.23 को पेश हों।</p>	
05.9.2023	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि ये अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकगील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">L.S.</p>	<p>Note Book S Mohanlal</p>
	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....20.12.23 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.12.23 को पेश हों।</p>	
21/2/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अधिकाधिक संघ ने आज तक अपील नोट प्रेस में खारिज नहीं किया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24.5.24 को पेश हों।</p>	
14.5.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार जावाज दिलाई गई न्यायालय समय सांभवकाल तक बार बार दिनांक गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम बैरदी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकगील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">R.L.</p>	
	<p>मू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	